प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 1053/2002

अपीलार्थीगण

1. अशोक, आत्मज कमला, आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम देवरी, थाना बतौली, जिला सरगुजा
2. कलिंदर, आत्मज भंवर, आयु 21 वर्ष, व्यवसायः कृषि, निवासी ग्राम विरिम्केला, जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत अपील

उपस्थित :

श्री वी.सी. ओत्तलवार, विद्वान अधिवक्ता सहित श्री गणेश प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से

श्री अरुण साव, विद्वान शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से

मौखिक निर्णय

(दिनांक 22.05.2007)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

1. यह अपील, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 257/2001 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश दिनांक 9.8.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने, अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 तथा धारा 376 (2) (छ) के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों का दोषी पाते हुए, उन्हें क्रमशः 6 माह के सश्रम कारावास एवं दस वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में उन्हें 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 11.3.2001 को लगभग 1.30 बजे दोपहर, अभियोक्त्री अर्थात् श्रीमती कौशल्या बाई (अ.सा.–3), जो कि लगभग 23 वर्षीय एक विवाहित महिला है, ने प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श.पी–3 इस आशय से दर्ज कराया कि दिनांक 10.3.2001 को, रात्रि लगभग 11.00 बजे जब वह अपने पति नारायण (अ.सा.–9) तथा परिवार के साथ अपने घर पर उपस्थित थी, उसी समय, यहां अपीलार्थीगण अर्थात् अशोक एवं कलिंदर, अन्य सह–अभियुक्त जीतन के साथ उनके घर आये और उसके पति को बुलाया। दरवाजा खोलने पर, वे उसके पति को हाथ–मुक्कों से मारने लगे, जिस पर, उसका पति किसी तरह सरपंच के घर की ओर भाग गया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, उन्होंने उसे पकड़ लिया, कुछ दूर तक घसीटा और तत्पश्चात् उसके साथ एक के बाद एक बलात्संग किया। उसने विशेष रूप से अपीलार्थीगण अशोक और कलिंदर के नामों का उल्लेख किया है और यह भी कथन किया है कि सबसे पहले अशोक ने बलात्संग किया, तत्पश्चात् कलिंदर ने किया और फिर अंत में जीतन ने उसके साथ बलात्संग किया और इन अपीलार्थीगण द्वारा उक्त कृत्य को पूर्ण करने के पश्चात्, वे घटनास्थल से भाग गये। उसने यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया है कि घटना को तीन साक्षियों अर्थात् कौशल्या बाई (अ.सा.–5), आशा (अ.सा.–11) एवं सुशीला (अ.सा.–12) ने देखा था। प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के पश्चात्, अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रदर्श.पी–8 के तहत भेजा गया तथा उसका परीक्षण डॉ. सरिता सिंह (अ.सा.–8) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श.पी–17 तैयार की। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। स्थानीय परीक्षण पर, उन्होंने पाया कि जघन बाल पूर्ण विकसित थे तथा उलझे हुए नहीं थे। यौन अंग पूर्ण विकसित थे तथा गुप्तांग पर कोई चोट नहीं थी। आंतरिक परीक्षण पर, उन्होंने पाया कि योनि में दो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उंगलियां आसानी से प्रविष्ट हो रही थीं तथा वह छूने पर दर्द की शिकायत कर रही थी। चिकित्सक की राय के अनुसार, उन्होंने हाल ही के संभोग का कोई चिन्ह नहीं पाया। आशा (अ.सा.–11) को भी कुछ चोटें आई थीं और उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रदर्श.पी–10 के तहत भेजा गया था। उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट डॉ. एम. निकुंज (अ.सा.–10) द्वारा प्रदर्श पी–10–ए के माध्यम से दी गई थी, जिसके अनुसार उसे एक साधारण चोट आई थी। इसी प्रकार, कौशल्या बाई (अ.सा.–5) पति चमरूराम को भी चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रदर्श.पी–11 के तहत भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–11–ए उसी चिकित्सक द्वारा तैयार की गई थी, जिसके अनुसार उसे भी एक साधारण चोट आई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम, अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीतापुर प्रदर्श.पी–12 के माध्यम से भेजा गया था तथा एक रिपोर्ट (असिद्ध) दिनांक 12.3.2001 प्राप्त की गई थी, किन्तु यह रिपोर्ट केवल बाह्य परीक्षण की सीमा तक ही थी, संभवतः इस कारण से कि कोई महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए, उसे अम्बिकापुर भेजा गया जहाँ उपरोक्त संदर्भित रिपोर्ट प्रदर्श.पी–17 प्राप्त की गई। तत्पश्चात्, सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने पर, आरोप–पत्र न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने आदेश दिनांक 13.8.2001 द्वारा प्रकरण को सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया, जहाँ से यह प्रकरण चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर को अंतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने दोनों अपीलार्थीगण के विरुद्ध विचारण का संचालन किया, क्योंकि तीसरा अभियुक्त अर्थात् जीतन फरार था, और आक्षेपित निर्णय पारित किया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा पारित दोषसिद्धि के इसी निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश मुख्य रूप से अभियोक्त्री कौशल्या बाई (अ.सा.–3) के साक्ष्य पर आधारित हैं।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि कौशल्या बाई (अ.सा.–3) का साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है। उनका निवेदन है कि श्रीमती संतोषी, अपीलार्थी अशोक की बहन है और अपीलार्थी कलिंदर की पत्नी है। अतः, कलिंदर, अशोक का जीजा है। इसी तरह, अभियुक्त क्रमांक 3 जीतन, अभियोक्त्री कौशल्या बाई (अ.सा.–3) का जीजा है। अतः, वह उसके पति नारायण (अ.सा.–8) का

साढ़ू है और अपीलार्थी अशोक, नारायण की बहन का लड़का है, और इसी प्रकार अभियोजन साक्षीगण कौशल्या बाई (अ.सा.–5) एवं सुशीला (अ.सा.–12) अभियोक्त्री की ननद हैं और अन्य साक्षी आशा (अ.सा.–11) भी उसकी देवरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि वास्तव में किसी विवाद को लेकर परिवार में एक साधारण 'मारपीट' हुई थी और प्रथम सूचना पत्र में नामित तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, जहाँ तक अभियोक्त्री पर बलात्संग किए जाने के आरोपों का संबंध है। उन्होंने आगे तर्क दिया हैं कि इतने निकट संबंध में, सामूहिक बलात्संग किए जाने की संभावना अनुचित प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया हैं कि कौशल्या बाई (अ.सा.–5) एवं नारायण (अ.सा.–9) के साक्ष्य में यह बात आई है कि पूर्व में संतोषी (अशोक की बहन) की रिपोर्ट पर, अभियोक्त्री के देवर अर्थात् नरेश को जेल में डाल दिया गया था, इसलिए पुरानी दुश्मनी के कारण, झगड़ा हुआ था और सामूहिक बलात्संग के संबंध में एक झूठी रिपोर्ट की गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अभिभाषक इन तर्कों का विरोध करते हैं। वे सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश का समर्थन करते हैं।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

7. कौशल्या बाई (अ.सा.–3) ने अपनी साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक को लगभग रात्रि 11.00 बजे, ये अपीलार्थीगण, फरार अभियुक्त जीतन के साथ उसके घर आए। जीतन ने दरवाजा खोलने के लिए कहा, जिस पर, दरवाजा उसके पति द्वारा खोला गया और उन्होंने घर के आंगन में उसके पति के साथ मारपीट करना आरंभ कर दिया। इस पर, उसका पति सरपंच, नामतः निरंजन, के घर की ओर भाग गया। तत्पश्चात्, उन तीनों व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया, जिस पर वह चिल्लाई। तब, उसकी दो देवरानी/जेठानी नामतः आशा (अ.सा.–11) और सुशीला (अ.सा.–12) वहां आई, किन्तु वे उनसे मारपीट के भय के कारण उसे बचा नहीं सकीं और अभियुक्तगण उसे उसके घर के पास खेत में खींचकर ले गए और तत्पश्चात् उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया और पूर्ण रूप से निर्वस्त्र कर दिया। प्रथमतः, अपीलार्थी अशोक ने बलात्संग किया, तत्पश्चात् अपीलार्थी कलिंदर ने किया और फिर अंत में, अभियुक्त

जीतन ने भी उसके साथ बलात्संग किया। उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब ये व्यक्ति घटना स्थल से चले गए, तब आशा (अ.सा.-11) और सुशीला (अ.सा.-12) वहां आईं और उसे उक्त स्थान से घर ले गईं। तत्पश्चात् अगले दिन एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 11 में, उसने कथन किया है कि उक्त घटना से दो वर्ष पूर्व, संतोषी, जो अशोक की बहन है, की रिपोर्ट पर उसका देवर नामतः नरेश जेल भेजा गया था। कण्डिका 14 में, उसने यह स्वीकार किया है कि यह उसके द्वारा की गई बलात्संग की एक रिपोर्ट थी। उसने कण्डिका 15 में यह भी स्वीकार किया है कि 'मारपीट' के समय उसकी दो देवरानी/जेठानी नामतः आशा (अ.सा.-11) और सुशीला (अ.सा.-12) एक कमरे में सो रही थीं, जिसका अर्थ है कि वे घटना स्थल पर उपस्थित थीं और उन्होंने 'मारपीट' देखी थी तथा यह भी देखा था कि अपीलार्थीगण उसे घर से उक्त घटना स्थल तक खींचकर ले गए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. श्रीमती कौशल्या बाई (अ.सा.-5) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक को लगभग रात्रि 11.00 बजे वह घर में सो रही थी, उस समय तीन अभियुक्त व्यक्ति वहां आए और दरवाजा खुलवाने के पश्चात्, नारायण (अ.सा.-9) को पीटना आरंभ कर दिया। जब वह नारायण (अ.सा.-9) को बचाने आई, तो उसे अशोक की बहन नामतः संतोषी (जो इस प्रकरण में अभियुक्त नहीं है) द्वारा पीटा गया। उसने कण्डिका 4 के माध्यम से यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि कौशल्या बाई (अ.सा.-3) ने उसे बताया था कि अभियुक्तगणों ने उसके साथ गलत काम किया है। अर्थात्, वह बलात्संग किए जाने की घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं थी, जैसा कि कौशल्या बाई (अ.सा.-3) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया गया है। आशा (अ.सा.-11) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि पांडा (नारायण) द्वारा मोटर सायकल ले जाने के संबंध में हुए एक विवाद के कारण, अशोक और कलिंदर उसके घर गए थे और अशोक ने मोटर सायकल के बारे में पूछा, जिस पर पांडा (नारायण) ने कहा कि मोटर सायकल पुलिस थाना भेज दी गई है। पांडा (नारायण) ने अशोक के साथ मारपीट की और तत्पश्चात् उनके बीच कुछ और मारपीट हुई और तब पांडा (नारायण) की पत्नी द्वारा पुलिस थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह साक्षी अभियोक्त्री कौशल्या बाई (अ.सा.-3) की देवरानी है। उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है और इस साक्षी के विस्तृत प्रतिपरीक्षण के पश्चात्, इस तथ्य के समर्थन में कोई भी बात अभिलेख पर नहीं लाई गई है, जिससे यह दर्शित हो कि वास्तव में या तो उसने अभियोक्त्री को खींचकर ले जाते हुए देखा था या उसने तीनों अभियुक्तगणों द्वारा उसके साथ बलात्संग किया जाना देखा था।

9. सुशीला (अ.सा.–12) अभियोक्त्री की बड़ी ननद है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक को, अपीलार्थीगण अशोक और कलिंदर, नारायण के घर आए थे और उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी और तत्पश्चात्, उन्होंने इस साक्षी के साथ भी मारपीट की। उसने विशेष रूप से कथन किया है कि तत्पश्चात् नारायण सरपंच के घर गया था और उस समय नारायण की पत्नी नामतः कौशल्या बाई (अ.सा.–3) उसके पास आई और उसे बताया कि अशोक ने उसके साथ बलात्संग किया है। उसके बाद, कौशल्या बाई (अ.सा.–3) और नरेश, नारायण तथा इस साक्षी के साथ पुलिस थाना गए थे। इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री ने केवल अपीलार्थी अशोक का नाम लिया था और उसने अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों के नाम नहीं लिए थे। इतना ही नहीं, प्रतिपरीक्षण में, कण्डिका 2 के माध्यम से, उसने कथन किया है कि जब नारायण की पत्नी अर्थात् अभियोक्त्री कौशल्या बाई (अ.सा.–3) सरपंच के घर गई, तो उसने केवल यह कहा था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे गाली दी और उसके साथ 'मारपीट' की। इसका अर्थ है, कि उसने उस समय उसके साथ बलात्संग किए जाने के बारे में नहीं कहा था। इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने केवल 'मारपीट' देखी थी और किसी भी अवैध कार्य (बलात्संग आदि) के किए जाने को कभी नहीं देखा या उसके बारे में नहीं जानती थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. निरंजन राम, जो गांव का सरपंच है, को भी इस प्रकरण में अ.सा.–7 के रूप में परीक्षित किया गया है। उसने अपनी साक्ष्य के कण्डिका 2 के माध्यम से कथन किया है कि घटना दिनांक को नारायण पांडा (अ.सा.–9) और उसकी पत्नी उसके घर आए थे और उन्होंने बताया था कि अभियुक्त कलिंदर अपने दो साथियों के साथ उनके घर आया था और उनके साथ मारपीट की है। उसने आगे कथन किया है कि इसके सिवाय, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, किन्तु, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया जा सका जिससे यह दर्शित हो कि इस साक्षी को अभियोक्त्री या उसके पति द्वारा यह सूचित किया गया था कि अभियोक्त्री के साथ इन तीन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा बलात्संग किया गया था।

11. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब अभियोक्त्री का कथन न्यायालय का विश्वास प्रेरित करता है और न्यायालय अभियोक्त्री के अभिसाक्ष्य पर निर्भर रहना उचित समझता है, तो अभियोक्त्री के एकमात्र अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि भली–भांति की जा सकती है, जिसके लिए किसी संपोषण की आवश्यकता नहीं होती। एकाकी साक्षी के अभिसाक्ष्य से संबंधित सिद्धांत बलात्संग पीड़िता के मामले में भी समान रूप से लागू होता है कि न तो विधायिका और न ही न्यायपालिका यह अधिदेशित करती है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या होनी चाहिए। हमारी विधिक प्रणाली ने हमेशा साक्षियों की संख्या, बहुलता या अधिकता के बजाय साक्ष्य के मूल्य, वजन और गुणवत्ता पर बल दिया है। बलात्संग पीड़िता के विषय में, यह भी स्मरणीय है कि पीड़िता की स्थिति एक आहत साक्षी की स्थिति के समतुल्य होती है और यौन उत्पीड़न की पीड़िता का साक्ष्य एक आहत साक्षी के साक्ष्य के बराबर होता है। जिस प्रकार एक साक्षी जिसे क्षति कारित हुई है, इस अर्थ में सर्वोत्तम साक्षी होता है कि उसकी वास्तविक अपराधी को दोषमुक्त करने की संभावना बहुत कम होती है, उसी प्रकार एक यौन अपराध की पीड़िता का साक्ष्य, संपोषण के अभाव के बावजूद, बहुत अधिक महत्व का हकदार है। अर्थात्, अभियोक्त्री के अभिसाक्ष्य पर निर्भर रहने और उसके अभिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधारित करने से पूर्व, उसे न्यायालय का विश्वास प्रेरित करना चाहिए और यदि उसके साक्ष्य और आचरण का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा ऐसा विश्वास प्राप्त कर लिया जाता है, तो संपोषण के बिना भी दोषसिद्धि संभव है। इसके विपरीत, यदि वह विश्वास प्रेरित नहीं करती है, तो संपोषक साक्ष्य होने पर भी, उसे मिथ्या पाया जा सकता है। संपोषक साक्ष्य की सहायता से भी उसके साक्ष्य पर दोषसिद्धि संभव नहीं होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. वर्तमान प्रकरण में, अभियोक्त्री का कथन सत्य एवं विद्वेष रहित प्रतीत नहीं होता है और यह कि वह न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं करता है। इसका कारण यह है कि उसका कथन काफी अस्वाभाविक है। यह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है कि तीन व्यक्ति, जो अभियोक्त्री के परिवार के निकट संबंधी थे, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, परिवार में पति सहित 3–4 व्यक्तियों की उपस्थिति में अभियोक्त्री को, वह भी एक साधारण विवाद पर, ले जाने में समर्थ हो सके, और उसे घर से बहुत कम दूरी तक, जो कि घनी बस्ती में है, खींचकर ले जाने के पश्चात्, आगे उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग करने में समर्थ होंगे। इस संबंध में, अभियोक्त्री ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि घटना उसकी 3 ननदों/देवरानियों

नामतः कौशल्या बाई (अ.सा.–5), आशा (अ.सा.–11) और सुशीला (अ.सा.–12) द्वारा देखी गई थी, किन्तु उनमें से किसी ने भी न्यायालय में उसके कथन का समर्थन नहीं किया है। बल्कि, उनकी साक्ष्य में यह आया है कि उन्होंने केवल उस 'मारपीट' को देखा था जो अभियोक्त्री के घर में उसके पति के साथ और अभियोक्त्री के साथ भी हुई थी। यह स्वयं अभियोजन का मामला है कि कौशल्या बाई (अ.सा.–5) और आशा (अ.सा.–11), दोनों घर में उपस्थित थीं और उन्हें भी चोटें आई थीं जिसके लिए उनका डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। इसलिए, वे भी आहत साक्षी होने के नाते उसी समान धरातल पर हैं और उनकी साक्ष्य को भी महत्व दिया जाना है। उन्होंने बलात्संग के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। यहां तक कि आशा (अ.सा.–11) ने भी, पक्षद्रोही घोषित किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 3 के माध्यम से जब उसके पूर्वतन कथन, "वह अभियुक्तगणों को उनकी गलती के बिना क्यों फंसाएगी?" का संदर्भ दिया गया, तब उसने कहा कि उसने बलात्संग के बारे में कोई भी कथन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इतना ही नहीं, अभियोक्त्री के कथन का चिकित्सीय साक्ष्य से भी समर्थन नहीं होता है। यदि किसी महिला को तीन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक कुछ दूरी तक खींचा जाता है और नग्न अवस्था में जमीन पर पटक दिया जाता है, और तत्पश्चात् एक के बाद एक तीन बार उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग किया जाता है, तो यह काफी स्वाभाविक है, यद्यपि एक नियम के रूप में नहीं, कि शरीर पर कुछ बाहरी चोटें लगने की संभावना होगी, जो इस प्रकरण में विद्यमान नहीं है। यहां तक कि बलात्संग के संबंध में डॉक्टर की राय भी अनुकूल नहीं है।

14. इस प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोक्त्री का कथन न्यायालय का ऐसा विश्वास प्रेरित नहीं करता है कि उसके एकमात्र अभिसाक्ष्य पर या तथाकथित संपोषक साक्ष्य की सहायता से भी दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सके, और सत्र न्यायालय ने अभियुक्तगणों के विरुद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित कर विधि की त्रुटि की है। यह 'मार–पीट' के मामले में बलात्संग के बारे में मिथ्या फंसाने का प्रकरण है क्योंकि दोनों ही पक्ष इसके आदी थे, और प्रस्तुत कहानी खारिज किए जाने योग्य है।

15. यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और अपीलार्थियों को दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य हैं। तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थियों को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। यह कथन किया गया है कि अपीलार्थीगण विगत छह वर्षों से जेल में हैं। यदि वे किसी अन्य प्रकरण में अपेक्षित न हों, उन्हें तत्काल रिहा किया जावे।

सही/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Bhumesh Bharti